

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी  
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री वृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

गुकदगा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

284 / 2023

17.7.2023

30.07.2025

1. केशर पत्नी चिम्गन, मीना निवासी खूटला तह० गंगापुर सिटी
2. भवानी शंकर पुत्र चिम्गन, मीना निवासी खूटला तह० गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण

वनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राज० अधिनियम  
उपस्थित :-श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से  
निर्णय

प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की  
भूमि ख०न० 179 रकबा 0.53 है०, ख०न० 205 / 1756 रकबा 0.24 है०, ख०न०  
229 रकबा 0.35 है०, ख०न० 26 रकबा 0.82 है०, ख०न० 28 / 1748 रकबा 0.38  
है०, ख०न० 350 रकबा 0.19 है०, ख०न० 58 रकबा 0.72 है०, ख०न० 823  
रकबा 0.62 है०, ख०न० 864 रकबा 0.12 है० ग्राम खूटला सलौना मे स्थित है।  
जिस पर प्राथीगण काबिज रहकर काशत करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का  
पडौसी खातेदारों से कोई विवाद ना हो इस कारण प्रार्थीगण ने उक्त  
सहखातेदारी की भूमि का तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान भी करवा था। पटवारी  
द्वारा दिनांक 1.7.22 को सीमाज्ञान किया जाकर निशानात लगाये गये। पडौसी  
खातेदारों ने प्रार्थीगण की भूमि की डौल मेड को तोड कर अपनी भूमि मे नही  
मिलावे इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः  
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि  
ख०न० 179 रकबा 0.53 है०, ख०न० 205 / 1756 रकबा 0.24 है०, ख०न० 229  
रकबा 0.35 है०, ख०न० 26 रकबा 0.82 है०, ख०न० 28 / 1748 रकबा 0.38 है०,  
ख०न० 350 रकबा 0.19 है०, ख०न० 58 रकबा 0.72 है०, ख०न० 823 रकबा  
0.62 है०, ख०न० 864 रकबा 0.12 है० ग्राम खूटला सलौना की पत्थरगढी के  
आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं० 2073 से 2076  
खाता संख्या 65 ग्राम खूटला सलौना, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट खूटला सलौना  
दिनांक 1.7.2022, प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने अपने जवाब मे अंकित किया है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड  
जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार संवत 2073-76 जमाबंदी वर्ष 2074 ख०न०



( 2 )

179, 205/1756, 229, 26, 28/1748, 350, 58, 823, 864 ग्राम खूटला सलौना केशर देवी पत्नी चिम्मन जाति भीना हिस्सा 1/2 एव भावना शंकर पुत्र चिम्मन जाति भीना हिस्सा 1/2 सा.देह खातेदार दर्ज है जो कि वर्तमान में पूर्ण खाता स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा गंगापुर सिटी के नाम रहन दर्ज है। उक्त ख0न0 ग्राम खूटला सलौना की सीमा में स्थित है तथा पूर्व में दिनांक 1.7.2022 को सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही कर निशानात करने सम्बन्धित कार्यवाही करवाई गई। वर्तमान में मौके पर उक्त सभी ख0नम्बरान खाली हैं तथा किसी प्रकार की कोई फसल आदि नहीं है।

वकील प्रार्थीगण को सुना गया।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप वहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

वहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.07.2022 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उनकी भूमि ख0न0 179 रकबा 0.53 है0, ख0न0 205/1756 रकबा 0.24 है0, ख0न0 229 रकबा 0.35 है0, ख0न0 26 रकबा 0.82 है0, ख0न0 28/1748 रकबा 0.38 है0, ख0न0 350 रकबा 0.19 है0, ख0न0 58 रकबा 0.72 है0, ख0न0 823 रकबा 0.62 है0, ख0न0 864 रकबा 0.12 है0 ग्राम खूटला सलौना तहसील गंगापुर सिटी की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी हैं।


आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि ख0न0 179 रकबा 0.53 है0, ख0न0 205/1756 रकबा 0.24 है0, ख0न0 229 रकबा 0.35 है0, ख0न0 26 रकबा 0.82 है0, ख0न0 28/1748 रकबा 0.38 है0, ख0न0 350 रकबा 0.19 है0, ख0न0 58 रकबा 0.72 है0, ख0न0 823 रकबा 0.62 है0, ख0न0 864 रकबा 0.12 है0 ग्राम खूटला सलौना तहसील गंगापुर सिटी पर पत्थरगढी करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.7.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
( वृजेन्द्र भीना )  
उप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी  
गंगापुर सिटी (सं.मा.०)